7.8.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बाद समाअत बहस एवं वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2012(2)आरजे 1299 गंगासहाय बनाम छाजू व अन्य इस प्रकरण पर लागू नही होता है क्योंकि मुताबिक दृष्टान्त "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955, धारा 53 सपठित सि.प्र.स. आदेश 23 नियम 3 संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन–आपसी समझौते से विभाजन–विभाजन से पूर्व ली गयी सहमति स्वतंत्र नही थी लेकिन उसे यह स्पष्ट नही किया गया था कि उसका हिस्सा घट जायेगा–कोई स्वतंत्र सहमति नही–अभिनिर्धारित–कपट या मिथ्या कथन से हासिल सहमति पर आधारित समझौता विलेख शुन्यकरणीय है–आदेश अपास्त किया तथा तहसीदार को नये सिरे से मामले को विनिश्चित करने के निर्देश दिये। उक्त प्रकरण में वकील रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत साईटेशन सीपीसी,1908 की धारा 96(3),2(2) मे स्पष्ट अंकित किया है कि समझौते के आधार पर पारित निर्णय की अपील पोषणीनीय नही होने के कारण अपील नही हो सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये बटवारे के दौरान किसी खातेदार की पूर्व सहमति नही ली गयी है बल्कि मौके पर सभी खातेदारान की उपस्थिति में बटवारानामा तैयार कर सभी खातेदारान की सहमति बाबत हस्ताक्षर करवाये गये है तथा संबंधित सभी खातेदारान को अपने हिस्से मे प्राप्त होने वाले ख.न. व रकबा की पूर्ण जानकारी वरवक्त बटवारा थी। ऐसी स्थिति वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साईटेशन इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः रेस्पो0 का यह कथन सही है कि पक्षकारान की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अपील नही हो सकती है एवं अपीलाधीन डिक्री में अपीलान्ट एवं रेस्पो. की सहमति थी। ऐसी स्थिति में रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता एवं अपीलान्ट द्वारा सहमति से हुए बटवारे के विरूद्व प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर